न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 67/2016 **दायरा दिनांक : 18.03.2016**

उनवान

1— नन्दा पुत्र किशन लाल, जाति मेघवाल, निवासी रटलाई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2— नानूराम पुत्र किशन लाल, जाति मेघवाल, निवासी रटलाई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— गीता बाई पत्नी कन्हैया लाल, जाति धोबी, निवासी रटलाई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, झालरापाटन, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री मोती लाल लोधा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.05.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 621/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट गीता बाई ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 और 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रटलाई, तहसील झालरापाटन में खाता संख्या नयी 14 पुरानी 319 की खसरा नम्बर 1471 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है, जिसका वादिया खातेदार कृषक है । प्रतिवादीगण 1 और 2 वादिया के खाते की भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट करने और भूमि पर कब्जा करने की नीयत रखते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादिया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.02.2016 को दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की माता रामी बाई के खाते की रही है । रामी बाई के अपीलांट के अलावा एक पुत्र देव लाल और पुत्री चन्दा बाई थी । अपीलांट के भाई ने धोखा धड़ी कर एक वसीयत अपने पुत्र अमर लाल के नाम करा ली जिसके आधार पर इंतकाल नम्बर 731 दिनांक 05.03.2004 को खुलवा लिया जिसकी अपील अपीलांटगण ने उपखण्ड अधिकारी झालावाड के न्यायालय में पेश की । अपील में इंतकाल खारिज किया गया । उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के निर्णय के खिलाफ अमर लाल ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहां अपील पेश की है । अमर लाल की अपील खारिज की जा चुकी है । रेस्पोडेंट के नाम गलत रूप से आराजी दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 10

एवं 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र भी खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष में वसीयत के आधार पर जो इंतकाल खुलवाया है वह गलत है । अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के हितबद्ध पक्षकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य की विवेचना नहीं की है, न ही दस्तावेजों की विवेचना की है । निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अमर लाल के पक्ष में वसीयत की गई थी । वसीयत के आधार पर आराजी उनके खाते दर्ज की गई है । रेस्पोडेंट के खिलाफ जो 420 का मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें एफ आर लग चुकी है । रेस्पोडेंट खातेदार कृषक है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2063–66 एक्जीविट 1 सलंग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी अमर लाल के खाते में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 1151 के अनुसार

आराजी गीता बाई के नाम दर्ज होने का उल्लेख है । विक्रय पत्र जो कि अमर लाल के द्वारा निष्पादित किया गया है उसकी प्रमाणित प्रति एक्जीविट 2 के रूप में पत्रावली में सलंग्न है । इसके अलावा पत्रावली पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का निर्णय दिनांक 25.02.2010 एक्जीविट एन ए 1 सलंग्न है जिसके अनुसार अमर लाल की अपील खारिज की गई है । उपखण्ड अधिकारी, झालावाड का निर्णय दिनांक 24.01.2007 एक्जीविट एन ए 2, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एक्जीविट एन ए 3 सलंग्न है । इसके अलावा बयान गीता बाई पी डब्ल्यू 1, भैरू लाल पी डब्ल्यू 2, भंवर लाल पी डब्ल्यू 3 कराये गये हैं । बयान नानूराम कराये गये हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण ने जो जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया है उसमें यह कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण के भाई देव लाल ने अपने पुत्र के नाम गलत रूप से इंतकाल खुलवा लिया था । अमर लाल के पक्ष में खोला गया इंतकाल खारिज कर दिया गया है, वह खातेदार नहीं रहा है । आराजी रामी बाई की पुश्तैनी आराजी है । अमर लाल को आराजी का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था । इसके आधार पर वादिया को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया था और अपील में जो कथन किया गया है उसमें मुख्य रूप से उनका यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी रामी बाई के खाते की है और रामी बाई के वे विधिक वारिस है । अमर लाल के नाम जो इंतकाल खोला गया था वह विधि विरूद्ध है । इंतकाल के बाबत पक्षकारों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में जो कार्यवाही लम्बित रही है एवं निर्णय हुए हैं उसकी प्रतियां पेश की गई है, परन्तु अपीलांट प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अथवा इस न्यायालय में राजस्व

रेकार्ड की ऐसी कोई प्रति पेश नहीं की है कि जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादग्रस्त आराजी रामी बाई के खाते में दर्ज हो रही है । नामान्तरकरण पर पारित किसी भी आदेश से पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व तय नहीं किये जा सकते । नामान्तरकरण खोला जाना एक फिसकल प्रक्रिया होती है जो पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व तय नहीं करती है । अपीलांट प्रतिवादी को अपना पक्ष स्वयं सिद्ध करना था और अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां पेश नहीं की है । इन तथ्यों के आधार पर अपीलांट प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा